वर्ष-15, अंक-151
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

आज का विचार
कठोर संयम और अनुशासन के बिना मनुष्य किसी भी सद्गुण को नहीं अपना सकता।

बिहार सिटी चीफ

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

बिहार, बुधवार 04 सितम्बर 2024

कितना वाजिब है डर- समझें

बिहार भूमि सर्वेक्षण में केवाला नहीं दिखाया तो जमीन सरकार ले लेगी?

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी मंत्रिपद पर कायम हैं, तो इसके पीछे बड़ा काम एक आधार हो सकता है। यह बड़ा काम है बिहार में चल रहा भूमि सर्वेक्षण। यह सर्वे दरअसल, जमीन के रिकॉर्ड का मिलान है। सभी जमीन के असल हकदार को अपना दावा दाखिल करना है, ताकि आगे जमीन का कोई विवाद नहीं रहे। यह काम 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन अब गति पर आया है क्योंकि तीन महीने का लक्ष्य देकर इसे पूरा कराया जा रहा है। राज्य में पहला जमीन सर्वेक्षण 1890 में शुरू हुआ था। 1990 में दूसरी बार इसकी शुरुआत हुई। अब भी बिहार में जमीन विवाद में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं, खासकर हत्याएं होती हैं। स्वामित्व विवाद का समाधान हो गया तो काफी हद तक यह संकट कम जाएगा। ऐसे में इस ड्रीम प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद से दस तरह की अफवाहों के कारण लोग डरे हुए हैं। सबसे बड़ा खतरा कागज नहीं रहने पर जमीन सरकारी होने का सता रहा है। यह खतरा कितना सही है और कितना गलत, क्या है यह प्रक्रिया, कैसे हो रहा है... ऐसे ढेर सारे सवालों के जवाब यहां दिए गए हैं। अगर इसके बाद भी सवाल रहे तो आप इस खबर के अंत में दिए मैसेज बॉक्स में सवाल दें, जवाब मिलेगा।

क्या है बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण 2024?

लगातार बढ़ते भूमि विवाद पर लगाम लगाने तथा सही व्यक्ति को उसका वाजिब हक दिलाने के उद्देश्य से बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम कराया जा रहा है।

कैसे अपना दावा करना होगा?

करीब सौ साल के बाद सूबे में फिर से हो रहे भूमि सर्वेक्षण के दौरान बंदोबस्त विभाग द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में रैयतों से आवेदन जमा लिए जा रहे हैं। ऑफलाइन मोड में आवेदन जमा करने के लिए सरकार द्वारा अंचल स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में जाकर लोग आवश्यक

कागजातों के साथ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं जो लोग शिविर में जाने से असमर्थ हैं, वह बिहार सरकार के वेबसाइट *dlrs.bihar.gov.in* पर जाकर भी सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

किन कागजातों की होगी जरूरत?

भूमि सर्वेक्षण में किसी जमीन पर अपने दावे के लिए रैयतों को मुख्य रूप से प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3ए भर कर जमा करना है। प्रपत्र-2 में अपनी जमीन से जुड़ी सभी जानकारी जैसे- अपनी जमीन का खाता नंबर, खेसरा, रकबा और चौहदी की जानकारी देनी होगी। वहीं प्रपत्र-3ए वंशावली का फार्मेट है। यह उन रैयतों को भरना होगा, जिन्हें अपनी जमीन पुरखों से मिली है। दोनों प

स्वअभिप्रमाणित वंशावली है मान्य?

यूं तो सरकारी स्तर पर किसी कार्य के लिए सरपंच व पंचायत सेवक के हस्ताक्षर से निर्गत वंशावली की जरूरत होती है, लेकिन भूमि सर्वेक्षण के दौरान रैयतों को वंशावली बनवाने के लिए पंचायत सचिव अथवा सरपंच के पास भटकने की जरूरत नहीं है। वह प्रपत्र-3ए में खुद से अपनी वंशावली का ब्योरा भरकर स्व-हस्ताक्षरित करते हुए जमा कर सकते हैं। ग्रामसभा के दौरान बंदोबस्त कर्मी इस वंशावली की जांच अपने स्तर से कर लेंगे।

प्रपत्र-2 व 3ए के साथ और भी कुछ देना है?

ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में आवेदन देने के दौरान रैयतों को प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3ए के साथ जमीन से जुड़े कागजात जैसे खतियान, लगान की रसीद, आधार कार्ड व मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा। जिन रैयतों के पास जमीन से संबंधित कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं हैं, वह अभिलेखागार से अपनी जमीन के कागजात की नकल प्राप्त कर सकते हैं।

जमीन की दाखिलखारिज का कागज जरूरी है?

यदि किसी व्यक्ति ने खुद कोई जमीन क्रय की है तो उस व्यक्ति को भूमि सर्वेक्षण के दौरान प्रपत्र-3ए भरने की कोई जरूरत नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि उक्त व्यक्ति पहले अपनी भूमि का दाखिलखारिज कराए, तभी वह भूमि सर्वेक्षण में भाग ले सकता है। वह दाखिलखारिज के स्थान पर भूमि का केवाला (रजिस्ट्री डीड) भी जमा कर सकता है।

देना होगा बंटवारा का लिखित प्रूफ?

यदि किसी रैयत को जमीन आपसी बंटवारा के आधार पर मिली है तो उससे संबंधित कागजात उन्हें जमा करना होगा। मौखिक बंटवारा के नाम पर वह किसी जमीन को अपना नहीं बता सकेंगे। बगैर स्टांप पेपर के हुए बंटवारे को अंडरस्टैंडिंग कहा जाएगा, पक्का नहीं।

केवल दावा करने से मिल जाएगा भूमि पर हक?

यदि किसी रैयत की भूमि पर गांव या आसपास के लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है और भूमि सर्वेक्षण के दौरान वह व्यक्ति अपना दखल-कब्जा जताता है तो केवल यह कहने भर से उसे जमीन का स्वामित्व नहीं दिया जा सकता है। उसे इससे संबंधित कागजात भी पेश करने होंगे कि आखिर किस आधार पर वर्णित भूमि पर उसका दावा बनता है।

गलत दस्तावेज देने पर होगी कार्रवाई?

भूमि सर्वेक्षण के दौरान अगर आप अपने अंचल कार्यालय में जमा किए गए या ऑनलाइन भरे गए प्रपत्र में गलत जानकारी देते हैं और उस दस्वावेज की जांच के दौरान संबंधित अधिकारी दस्तावेज को गलत पाते हैं तो कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सभी जमीन मालिकों से सेल्फ एफिडेविट की मांग की गई है।

प्रपत्र-2 और 3ए भर देने के बाद सुधार कर सकते हैं?

भूमि सर्वेक्षण के दौरान प्रपत्र-2 या 3ए भरने पर यदि किसी रैयत से गलती हो जाती है तो गजट प्रकाशन से पहले उन्हें तीन बार सुधार का मौका मिलेगा। अंतिम प्रकाशन के बाद इसमें सुधार नहीं किया जा सकेगा।

'पुश्तैनी' का मतलब कितनी पीढ़ियों का माना जाए?

पुश्तैनी संपत्ति पर चार पीढ़ियों का अधिकार होता है। परदादा से मिली संपत्ति पर दादा, पिता और फिर बेटे का अधिकार होता है।

जमीन सर्वे के दौरान सदेह रहना पड़ेगा?

भूमि सर्वेक्षण के लिए अभी कागजात जमा लिए जा रहे हैं। जिन जमीन पर कोई और भी दावा करेगा, उसके सर्वे के दौरान निश्चित तौर पर वह पक्ष मजबूत होगा जो जमीन पर उपलब्ध होगा। इसलिए, जब अमीन आपकी जमीन पर सर्वे करने पहुंचें तो उस समय रैयत को कोशिश करनी चाहिए कि वे अपनी जमीन पर उपस्थित रहें। यदि यह संभव न हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को उस स्थान पर जरूर भेज दें, जो आपकी जमीन के बारे में सभी जानकारी रखता हो। ऐसा नहीं होने की स्थिति में यदि कोई पड़ोसी अथवा गांव का व्यक्ति आपकी जमीन के बारे में सर्वेक्षक को गलत जानकारी देत सकता है। इससे आपको भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

केवाला नहीं दिखाया तो जमीन सरकार ले लेगी?

सरकार भले जो कहे, लेकिन अंतिम स्थिति तो यह है ही। अगर आप जमीन पर दावा करते हैं और कागजातों से इसे साबित नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति बन सकती है। हां, केवाला ही इसका सिर्फ प्रमाण नहीं है। बहुत सारे विकल्प हैं आपको अपनी जमीन को अपना बताने के लिए। लेकिन अगर किसी जमीन का कोई कागजाती दावेदारी साबित नहीं हुई तो वह जमीन सरकारी घोषित करने की प्रक्रिया से पहले नोटिस पर जाएगी। दावा मांगा जाएगा।

कोई भी उसपर दावा नहीं कर सका या किसी का दावा नहीं साबित हुआ तो अंततः जमीन बेनामी घोषित होते हुए सरकारी संपत्ति बन जाएगी।

रसीद से काम चल जाएगा?

मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अगर जमीन का ऑनलाइन रसीद कट रहा है, जमीन पर कब्जा है और कोई विवाद नहीं है तो यह रसीद मान्य हो जाएगा।

सहमति आधारित बंटवारे में क्या होगा?

बंटवारा नहीं हुआ है तो जो जिस जमीन पर रह रहे हैं या बेच दी है, अगर आपसी सहमति का कागज बना दिया गया है तो सर्वे में उसी तरह से नाम चढ़ा दिया जाएगा। अगर किसी का टाइटल शूट या कोर्ट में विवाद है तो पहले फेज में इसपर होल्ड रखा जाएगा।

मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब कांड की आशंका

एक की मौत, कई की हालत बिगड़ी, मचा हड़कंप!

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ

पटना, बिहार में एक बाद फिर जहरीली शराब कांड की आशंका जाहिर की जा रही है. दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में सोमवार की देर रात संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत हुई है. हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार जहरीली शराब पीने से मौत की बात सामने आ रही है. वहीं कई अन्य लोगों की भी जहरीली शराब पीने से हालत बिगड़ने की बात भी सामने आ रही है, जिनको इलाज कराया जा रहा है. हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है कि कितने लोगों ने शराब पी है. फिलहाल पुलिस मृतक के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है. दरअसल पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर का है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा निवासी अनिल शर्मा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ है, जिसको लेकर परिजन ने यह आशंका जताया है कि उसकी मौत जहरीले पदार्थ यानी शराब से मौत हुई है. मृतक के मुंह से बदबू और झाग भी निकल रहे थे. वहीं इसमें कई अन्य लोग के बीमार पड़ने की बात बताई जा रही है. पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है. इसमें शामिल अन्य लोग भी तवियत बिगरने की भी बात सामने आ रही है,जो अलग अलग जगहों के रहने वाले है.

घटना के संबंध में बताया जाता है कि एक एल्युमिनियम के कबाड़ की दुकान में काम करने वाले कई मजदूर दीघरा गांव के एक लीची बगान जुटे हुए थे. इस दौरान मजदूरों ने शराब पी थी, जिसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई लोगों की तबियत भी बिगड़ने लगी. परिजन द्वारा किसी गोपनीय स्थान पर ले जाकर उसका इलाज करने की भी बात सामने आ रही है. मरने वाले व्यक्ती की पहचान अनिल कुमार शर्मा 38 वर्ष के रूप में की गई है, जो भीखानपुरा गांव के रहने वाले थे. वहीं इस मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

परिजनों का कहना है कि मृतक अनिल के मुंह से झाग निकल रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे शराब पिला कर उसके साथ मारपीट भी की गई. उसके शरीर पर चिन्ह मिले हैं. इससे लग रहा है उसे शराब पिला कर उसके साथ मारपीट की गई है. वहीं इसी गांव की रहने दूसरे व्यक्ती की मां सुनैना देवी ने बताया कि उनका बेटा राकेश कुमार उम्र करीब 30 वर्ष भी दिघरा में बिजली का तार खोलने का काम करता था. देर शाम को घर में आया तो उनके हालत गंभीर थी पता चला की वह कई लोगो के साथ में बैठा हुआ था और सभी ने जहरीले शराब का सेवन किया है.

परिजनों के अनुसार पूछताछ करने पर वह अधिक नशे में होने के कारण घर से चला गया. वह कई साल से वहां काम किया करता था और आज जिस स्थिति में लौटा तो उसकी हालत ठीक नहीं थी. हम सब बेहद परेशान हो गए है कि वो कहां चला गया. हालांकि पूरे मामले को लेकर जब एसपी सिटी अवधेश दीक्षित से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि मारपीट की घटना में मौत की बात सामने आ रही है. लेकिन शराब पीने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा. फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है.

सभी MP, MLA और MLC को बुलाया, तेजस्वी भी रहेंगे मौजूद

पटना लौटते ही एक्शन में लालू यादव, कल बुलाई बड़ी बैठक

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ

पटना, सिंगापुर से इलाज कराने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना लौट गए हैं. दरअसल लालू यादव सोमवार को सिंगापुर से दिल्ली लौटे और उसके बाद शाम में पटना आ गए. पटना पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं. आरजेडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है.इस बैठक में आरजेडी के चारों सांसद, सभी विधायक और विधान परिषद के सदस्यों को उपस्थित होने को कहा गया गया है. बैठक में तेजस्वी यादव की आभार यात्रा के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी. बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं. बैठक में लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव और पार्टी के लगभग सभी कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे.बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए तेजस्वी यादव 10 सितंबर से एक बार फिर बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं. तेजस्वी अपनी इस आभार यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से बात करेंगे. यात्रा के दौरान कोई सभा नहीं होगी. तेजस्वी की यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर जिले से होगी. तेजस्वी की यह यात्रा 17 सितंबर चक चलेगी. इस दौरान तेजस्वी यादव दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर का दौरा करेंगे. अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव हर जिले में 2 दिन बिताएंगे.

UP के बाद बिहार में भी भेड़ियों का आतंक!

कई लोगों को बनाया निशाना, नाराज ग्रामीणों ने एक को मार डाला

चन्दन कुमार चौबे 7 सिटी चीफ

गया, गया में भेड़िये के आंतक से लोग खौफजदा हैं. उत्तर प्रदेश के बहराइच की तरह ही यहां भी भेड़िया लोगों को शिकार बना रहा है. कई लोगों को काटकर घायल कर दिया है. हालांकि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भेड़िये को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है लेकिन अब तक टीम के हाथ कुछ नहीं लगा है. लोग डर के साए में जी रहे हैं. मामला जिले के मकसूदपुर का है.हालांकि वन विभाग का कहना है कि भेड़िया नहीं बल्कि सियार के द्वारा हमला करने की सूचना मिली है लेकिन वन विभाग भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि भेड़िये ने हमला किया है या फिर सियार लोगों को निशाना बना रहा है. फिलहाल आदमखोर भेड़िये को पकड़ने के लिए टीम ने जाल बिछा रखा है.

मंत्री अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ीं

विरोध में सड़कों पर उतरा भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ

जहानाबाद, बिहार के जहानाबाद में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा भूमिहारों के ऊपर दिए गए विवादित बयान पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के अंदर से विरोध शुरू होकर विपक्ष के खेमे से होते हुए यह विरोध अब सड़क तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर भी लोग अशोक चौधरी को खूब ट्रोल कर रहे हैं। अलग- अलग जिलों में लोग सड़कों पर उतार आये हैं। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के लोग प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक पर सैकड़ो की संख्या में जुटे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ न सिर्फ जमकर नारेबाजी की बल्कि बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमिहारों के ऊपर किए गए अमर्यादित टिप्पणी पर अशोक चौधरी पर कार्रवाई नहीं करते हैं और अशोक चौधरी अपने बयान पर माफी नहीं मांगते हैं, तो अब पूरे बिहार में भूमिहार ब्राह्मण सड़कों पर उतरकर

सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका खामियाजा आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा।

भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने सरकार को दी चेतावनी

भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के मुजफ्फरपुर और प्रदेश के महामंत्री धर्मवीर शुक्ला ने कहा जिस प्रकार से अशोक चौधरी ने बयान दिया है इसको भूमिहार समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर अशोक चौधरी माफी नहीं मांगते हैं, तो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट आगे की रणनीति तय करने के लिए स्वतंत्र है और इसका खामियाजा वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा।

भूमिहार अपने तेवर में आता है तो सरकार बदल देता है

इसी तरह का विरोध जहानाबाद में भी देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय भूमिहार सेवा अभियान ने मंत्री अशोक चौधरी का पुतला दहन किया। राष्ट्रीय भूमिहार सेवा अभियान के लोगों ने खुलेआम चेतावनी देते हुए कहा कि अशोक चौधरी सरेआम माफी मांगे नहीं तो आने वाले दिनों में उनको जहानाबाद में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज में एक तरफ बेटी देने का काम करते हैं तो दूसरे तरफ गाली देने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में भूमिहार समाज उनके द्वारा किए गए टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगा।

राष्ट्रीय भूमिहार सेवा अभियान के बैनर तले पुतला दहन कार्यक्रम में भारी संख्या में भूमिहार समाज के लोग भाग लिए। इस मौके पर भूमिहार समाज के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जनता दल यूनाइटेड के मंत्री अशोक चौधरी ने जिस तरह का बयान भूमिहार समाज पर दिया है इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बदनामी हुई है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले को गंभीरता से लेकर अशोक चौधरी को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। इस मौके पर भूमिहार समाज के नेता ने कहा कि अशोक चौधरी भूमिहार को नजदीक से नहीं जाने हैं भूमिहार अगर अपने तेवर में आता है तो सरकार बदल देता है